[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAOR DINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification

New Delhi, the 31st May, 2010

INCOME-TAX

- (E).- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (6th Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2010.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, -
- (a) for rules 30, 31, 31A and 31 AA the following rules shall be substituted, namely:-

"Time and mode of payment to Government account of tax deducted at source or tax paid under sub-section (1A) of section 192.

30.

- (1) All sums deducted in accordance with the provisions of Chapter XVII-B by an office of the Government shall be paid to the credit of the Central Government -
 - (a) on the same day where the tax is paid without production of an income-tax
 - (b) on or before seven days from the end of the month in which the deduction is made or income-tax is due under sub-section (1A) of section 192, where tax is paid accompanied by an income-tax challan.
- (2) All sums deducted in accordance with the provisions of Chapter XVII-B by deductors other than an office of the Government shall be paid to the credit of the Central
 - (a) on or before 30th day of April where the income or amount is credited or paid in the month of March; and
 - (b) in any other case, on or before seven days from the end of the month in which
 - the deduction is made; or
 - income-tax is due under sub-section (1A) of section 192. (ii)
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), in special cases, the Assessing Officer may, with the prior approval of the Joint Commissioner, permit quarterly

payment of the tax deducted under section 192 or section 194A or section 194D or section 194H for the quarters of the financial year specified to in column (2) of the Table below by the date referred to in column (3) of the said Table:-

Table

SI. No.	Quarter of the Financial Year ended on	Dat	e for quarterly payment
(1)	(2)	 	(3)
1.	30th June	7th Ju	lv
2.	30th September		ctober
3	31st December		nuary
4.	31st March	30 th /	

B.- Mode of payment

- (4) In the case of an office of the Government, where tax has been paid to the credit of the Central Government without the production of a challan, the Pay and Accounts Officer or the Treasury Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer or any other person by whatever name called to whom the deductor reports the tax so deducted and who is responsible for crediting such sum to the credit of the Central Government, shall-
 - (a) submit a statement in Form No. 24G within ten days from the end of the month to the agency authorised by the Director General of Income-tax (Systems) in respect of tax deducted by the deductors and reported to him for that month; and
 - (b) intimate the number (hereinafter referred to as the Book Identification Number) generated by the agency to each of the deductors in respect of whom the sum deducted has been credited.
- (5) For the purpose of sub-rule (4), the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data, and shall also be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing the information in the manner so specified.
- (6) (i) Where tax has been deposited accompanied by an income-tax challan, the amount of tax so deducted or collected shall be deposited to the credit of the Central Government by remitting it within the time specified in clause (b) of sub-rule (1) or in sub-rule (2) or in sub-rule (3) into any branch of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank;
 - (ii) Where tax is to be deposited in accordance with clause (i), by persons referred to in sub-rule (1) of rule 125, the amount deducted shall be electronically remitted into the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank accompanied by an electronic income-tax challan.
 - (7) For the purpose of this rule, the amount shall be construed as electronically remitted to the Reserve Bank of India or to the State Bank of India or to any authorised bank, if the amount is remitted by way of-

- (a) internet banking facility of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank; or
- (b) debit card.
- (8) Where tax is deducted before the 1st day of April, 20 10, the provisions of this rule shall apply as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010.

Certificate of tax deducted at source to be furnished under section 203.

- 31. (1) The certificate of deduction of tax at source by any person in accordance with Chapter XVII-B or the certificate of payment of tax by the employer on behalf of the employee under sub-section (1A) of section 192 shall be in-
 - (a) Form No. 16, if the deduction or payment of tax is under section 192; and
 - (b) Form No. 16A if the deduction is under any other provision of Chapter XVII-B.
 - (2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall specify:-
 - (a) valid permanent account number (PAN) of the deductee;
 - (b) valid tax deduction and collection account number (TAN) of the deductor;
 - (c) (i) book identification number or numbers where deposit of tax deducted is without production of challan in case of an office of the Government;
 - (ii)challan identification number or numbers in case of payment through bank.
 - (d) (i) receipt number of the relevant quarterly statement of tax deducted at source which is furnished in accordance with the provisions of rule 31A;
 - (ii) receipt numbers of all the relevant quarterly statements in case the statement referred to in clause (i) is for tax deducted at source from income chargeable under the head "Salaries"
 - (3) The certificates in Forms specified in column (2) of the Table below shall be furnished to the employee or the payee, as the case may be, as per the periodicity specified in the corresponding entry in column (3) and by the time specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:-

Table

Sl. No.	Form No.	Periodicity	Due date
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	16	Annual	By 31st day of May of the financial year immediately following the financial year in which the income was paid and tax deducted
2.	16A	Quarterly	Within fifteen days from the due date for furnishing the statement of tax deducted at source under rule 31A.

- (4) If an assessee is employed by more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A of the certificate in Form No. 16 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers and Part B may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.
- (5) The deductor may issue a duplicate certificate in Form No. 16 or Form No. 16A if the deductee has lost the original certificate so issued and makes a request for issuance of a duplicate certificate and such duplicate certificate is certified as duplicate by the deductor.
- (6) (i) Where a certificate is to be furnished in Form No. 16, the deductor may, at his option, use digital signatures to authenticate such certificates.
 - (ii) In case of certificates issued under clause (i), the deductor shall ensure that-
 - (a) the provisions of sub-rule (2) are complied with;
 - (b) once the certificate is digitally signed, the contents of the certificates are not amenable to change; and
 - (c) the certificates have a control number and a log of such certificates is maintained by the deductor.
- (7) Where a certificate is to be furnished for tax deducted before the 1st day of April, 2010, it shall be furnished in the Form in accordance with the provisions of the rules as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010.

Explanation.- For the purpose of this rule and rule 37D, challan identification number means the number comprising the Basic Statistical Returns (BSR) Code of the Bank branch where the tax has been deposited, the date on which the tax has been deposited and challan serial number given by the bank.

Statement of deduction of tax under sub-section (3) of section 200.

- 31A. (1) Every person responsible for deduction of tax under Chapter XVII-B, shall, in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 200, deliver, or cause to be delivered, the following quarterly statements to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Director General of Income-tax (Systems), namely:-
 - (a) Statement of deduction of tax under section 192 in Form No. 240;
 - (b) Statement of deduction of tax under sections 193 to 196D in-
 - (i) Form No. 27Q in respect of the deductee who is a non-resident not being a company or a foreign company or resident but not ordinarily resident; and
 - (ii) Form No. 26Q in respect of all other deductees.
- (2) Statements referred to in sub-rule (1) for the quarter of the financial year ending with the date specified in column (2) of the Table below shall be furnished by the due date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:-

Sl. No.	Date of ending of the quarter of the financial year	Due date
(1)	(2)	(3)
1.	30th June	15th July of the financial year
2.	30th September	15th October of the financial year
3.	31st December	15th January of the financial year
4.	31 st March	15th May of the financial year immediately following the financial year in which deduction is made

- (3) (i) The statements referred to in sub-rule (1) may be furnished in any of the following manners, namely:-
 - (a) furnishing the statement in paper form;
 - (b) furnishing the statement electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5) alongwith the verification of the statement in Form 27A.

(ii) Where,-

- (a) the deductor is an office of the Government; or
- (b) the deductor is the principal officer of a company; or
- (c) the deductor is a person who is required to get his accounts audited under section 44AB in the immediately preceding financial year; or
- (d) the number of deductee's records in a statement for any quarter of the financial year are twenty or more.

the deductor shall furnish the statement in the manner specified in item (b) of clause (i).

- (iii) Where deductor is a person other than the person referred to in clause (ii), the statements referred to in sub-rule (1) may, at his option, be delivered or cause to be delivered in the manner specified in item (b) of clause (i).
- (4) The deductor at the time of preparing statements of tax deducted shall,
 - (i) quote his tax deduction and collection account number (TAN) in the statement;
 - (ii) quote his permanent account number (PAN) in the statement except in the case where the deductor is an office of the Government;
 - (iii) quote the permanent account number of all deductees;
 - (iv) furnish particulars of the tax paid to the Central Government including book identification number or challan identification number, as the case may be.
- (5) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing of the statements and shall be

responsible for the day to day administration in relation to furnishing of the statements in the manner so specified.

(6) Where a statement of tax deducted at source is to be furnished for tax deducted before the 1st day of April, 2010, the provisions of this rule and rule 37A shall apply as they stood immediately before their substitution or omission by the Income-tax (Lamendment) Rules, 2010.

Statement of collection of tax under proviso to sub-section (3) of section 206C.

- 31AA. (1) Every collector, shall, in accordance with the provisions of the proviso to subsection (3) of section 206C, deliver, or cause to be delivered, to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Director General of Income-tax (Systems), a quarterly statement in Form No. 27EQ.
- (2) Statements referred to in sub-rule (1) for the quarter of the financial year ending with the date specified in column (2) of the Table below shall be furnished by the due date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:-

Sl. No.	Quarter of the financial year ended	Due date
(1)	(2)	(3)
1.	30 th June	15th July of the financial year
2.	30th September	15th October of the financial year
3.	31st December	15th January of the financial year
4.	31st March	15 th May of the financial year immediately following the financial year in which collection is made

- (3) (i) The statement referred to in sub-rule (1) may be furnished in any of the following manners, namely:-
 - (a) furnishing the statement in paper form;
 - (b) furnishing the statement electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5) alongwith the verification of the statement in Form 27A.
 - (ii) Where,-
 - (a) the collector is an office of the Government; br
 - (b) the collector is the principal officer of a company; or
 - the collector is a person who is required to get his accounts audited under section 44AB in the immediately preceding financial year;
 - (d) the number of collectee's records in a statement for any quarter of the financial year are twenty or more,

the collector shall furnish the statement in the manner specified in item (b) of clause (i).

- (iv) Where the collector is a person other than the person referred to in clause (ii), the statement referred to in sub-rule (1) may, at his option, be delivered or cause to be delivered in the mariner specified in item (b) of clause (i).
- (4) The collector at the time of preparing statements of tax collected shall,
 - (i) quote his tax deduction and collection adcount number (TAN) in the statement;
 - (ii) quote his permanent account number (PAN) in the statement except in the case where the collector is an office of the Government;
 - (iii) quote the permanent account number of all collectees;
 - (iv) furnish particulars of the tax paid to the Central Government including book identification number or challan identification number, as the case may be.
- (5) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing of the statements and shall be responsible for the day to day administration in relation to furnishing of the statements in the manner so specified.
- (6) Where a statement of tax collected at source is to be furnished for tax collected before the 1st day of April, 2010, the provisions of this rule shall apply as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010.";
- (b) rule 37A shall be omitted:
- (c) for rules 37CA and 37D, the following rules shall be substituted, namely:-

"Time and mode of payment to Government account of tax collected at source under section 206C.

37CA.

- (1) All sums collected in accordance with the provisions of sub-section (1) or sub-section (1C) of section 206C by an office of the Government shall be paid to the credit of the Central Government -
 - (a) on the same day where the tax is so paid without production of an income-tax challan; and
 - (b) on or before seven days from the end of the month in which the collection is made, where tax is paid accompanied by an income-tax challan.
- (2) All sums collected in accordance with the provisions of sub-section (1) or sub-section (1C) of section 206C by collectors other than an office of the Government shall be paid to the credit of the Central Government within one week from the last day of the month in which the collection is made.

- (3) In the case of an office of the Government, where tax has been paid to the credit of the Central Government without the production of a challan, the Pay and Accounts Officer or the Treasury Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer or any other person by whatever name called to whom the collector reports the tax so collected and who is responsible for crediting such sum to the credit of the Central Government, shall-
 - (a) submit a statement in Form No. 24G within ten days from the end of the month to the agency authorised by the Director General of Income-tax (Systems) in respect of tax collected by the collectors and reported to him for that month; and
 - (b) intimate the number (hereinafter referred to as the Book Identification Number) generated by the agency to each of the collectors in respect of whom the sum collected has been credited.
 - (4) For the purpose of sub-rule (3), the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data, and shall also be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing the information in the manner so specified.
 - (5) (i) Where tax has been deposited accompanied by an income-tax challan, the tax collected under sub-section (1) or sub-section (1C) of section 206C shall be deposited to the credit of the Central Government by remitting it within the time specified in clause (b) of sub-rule (1) or in sub-rule (2) into any branch of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank.
 - (ii) Where tax is to be deposited in accordance with clause (i), by persons referred to in sub-rule (1) of rule 125, the amount collected shall be electronically remitted into the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank accompanied by an electronic income-tax challan.
 - (6) For the purpose of this rule, the amount shall be construed as electronically remitted to the Reserve Bank of India or to the State Bank of India or to any authorised bank, if the amount is remitted by way of-
 - (a) internet banking facility of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank; or
 - (b) debit card.
 - (7) Where tax is collected before the 1st day of April, 2010, the provisions of this rule shall apply as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010.

Certificate of tax collected at source under section 206C(5).

37D. (1) The certificate of collection of tax at source under sub-section (5) of section 206C to be furnished by the collector shall be in Form 27D.

- (2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall specify:-
- (a) valid permanent account number (PAN) of the collectee;
- (b) valid tax deduction and collection account number (TAN) of the collector;
- (c) (i) book identification number or numbers where deposit of tax collected is without production of challan in case of an office of the Government; (ii)challan identification number or numbers in case of payment through bank;
- (d) receipt number of the relevant quarterly statement of tax collected at source which is furnished in accordance with the provisions of rule 31AA.
- (3) The certificate in the Form No. 27D referred to in sub-rule (1) shall be furnished to the collectee within fifteen days from the due date for furnishing the statement of tax collected at source specified under sub-rule (2) of rule 31AA.
- (4) The collector may issue a duplicate certificate in Form No. 27D if the collectee has lost the original certificate so issued and makes a request for issuance of a duplicate certificate and such duplicate certificate is certified as duplicate by the collector.
- (5) Where a certificate is to be furnished for tax collected before the 1st day of April, 2010, it shall be furnished in the Form in accordance with the provisions of the rules as they stood immediately before their substitution by the Income-tax (Amendment) Rules, 2010.";

(d) in Appendix-II,-

(i) for Form. No. 16 and Form No.16A, the following Forms shall be substituted, namely:-

		·		"FO	RM NO.16		\dashv							
ļ					rule 31(1)(a)]									
ļ		artificate under s	action 202		PART A									
	nd add	Certificate under so ress of the	ECHOH 203	of the Income-				the Employee	salary					
Employe	er													
	V of the	e	TAN of	f the Deductor	PAN of	the Employ	/ee							
Address.		CIT(TDS		****	Assess	ment Year	r	Period						
		Pin code.						From	То					
				Summary of ta	x deducted a	t source			<u>i</u>					
Quari	ter	Receipt Num statements of T (3) of section 200	DS under		Amount of in respect	f tax dedu of the emp		deposited/rem	unt of tax altted in respect of employee					
Quarte														
Quarte														
Quarte: Quarte:														
Tota		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												
		The second secon	eri	PART B	(Refer Note	1)								
Details of	f Salar	y paid and any oth	er income	and tax deduc	ted			<u> </u>						
1	Gro	ss Salary				Rs	$\neg \uparrow$							
	(a)	Salary as per pro	ovisions co	ntained in sec.1	7(1)	Rs								
	(b)	Value of perquis wherever applica	sites u/s 17 able)	(2) (as per Form	No.12BB,	Rs								
	(c)	Profits in lieu of Form No.12BB,	salary und wherever	ler section 17(3) applicable)	(as per	Rs.								
	(d)	Totai]	R	s						
2		Less: Allowan	ce to the e	xtent exempt u/s	i 10	[
		Allowance		Rs	s	1								
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Rs.			į					
				1		1	R	[5						
			<u> </u>			-								
		•				l								

Balance(1-2)				Rs	1
Deductions:	•				
(a) Entertair	nment allowance		Rs.		
(b) Tax on e	mployment		Rs.		
Aggregate o	of 4(a) and (b)			Rs	
Income o	chargeable under the he	ad 'salaries' (3-5)			Rs
Add: Any other	income reported by the	employec			
lnc	come	Rs.			1
	·		7		
			7	Rs	
Gross total incor	me (6+7)		7		Rs
Deductions unde	er Chapter VIA 0C, 80CCC and 80CCE)			
(a) section	80C			Gross Amount	Deductible amount
(i)	,,			Rs	
(ii)	••••••			Rs	
(iii)				ks	
(iv)				ks	
(v)					
(vi)				[
(vii)				Rs.	Rs.
(b) section	80CCC		·	Rs.	Rs.
(c) Section	80CCD				
shall not 2. Aggreg sections, exceed o	gate amount deductible exceed one lakh rupeer ate amount deductible i.e., 80C, 80CCC and ine lakh rupees.	s. under the three 80CCD shall not			,
(i)	section		Gross amount Rs.	Qualifying amount Rs.	Deductible amount Rs.
			İ		
(ii)	section		Rs.	Rs.	Rs.
(iii)	section		Rs.	Rs.	Rs.
(iv)	section		Rs.	Rs.	Rs.
(ν)	section		Rs.	Rs.	Rs.

10	Aggregate of deductible amount ur	1	Ì	Rs	
Į					
11	Total Income (8-10)	!	·		Rs
12	Tax on total income		į		Rs
13	Education cess @ 3% (on tax comp	puted at S. No. 12)			Rs.
14	Tax Payable (12+13)			•	Rs.
15	Less: Relief under section 89 (attac	ch details)		1	Rs
16	Tax payable (14-15)				Rs.
····		Verification		,	· · ·
(designati and depos	on) do hereby certify that a sun ited to the credit of the Central and correct and is based on the ecords.	n of Rs[Rs Government. I further cert	ify that the	(in words)] has information given	been deducted above is true,
Place				•	
Date		Signature of person respon	sible for de	luction of tax	
Designation	:	Full Name:		-	

Notes:

- 1. If an assessee is employed under more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A of the certificate in Form No 16 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers. Part B may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.
- 2. Government deductors to enclose Annexure-A if tax is paid without production of an income-tax challan and Annexure-B if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
- 3. Non-Government deductors to enclose Annexure-B.
- 4. The deductor shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TDS statements of the assessee.
- This Form shall be applicable only in respect of tax deducted on or after 1st day of April, 2010.

ANNEXURE-A DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ENTRY

(The Employer to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the employee)

S. No.	Tax Deposited in respect of the	Book identification number (BIN)																			
	employee (Rs.)	R	ecei		mbe o.24		f For	m		ımbe: Adjus	Sequ r in tl tmen iteme	ie B t Mi	ok			d	еро	site	:h ta d yyy)		
										_			Щ.	_	┖	L	L	ļ		_	<u> </u>
												<u> </u>	₩	_	L	ļ	<u> </u>	L		\dashv	Щ
		<u> </u>									ļ	H	 	+	╀	-	┡		Н	_	\vdash
								_	<u> </u>	-		-	₩-	╅	╫	╆	┝┈	-	\vdash	\dashv	
		\vdash					-				-	┝	-	╅╴	┢	╁	-	┝╌	Н	_	
							_		\vdash	 	 	_	H^-	十	+-	H	╁╌	H		一	
	,									-			H-	+					П		
	<u></u>													\top	T	Τ					П
	<u> </u>																				
										e											
Total									10 (14) 11,201 K												

Note:

1. In the column for TDS, give total amount for TDS, Surcharge (if applicable) and education cess.

ANNEXURE-B DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN

(The Employer to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the employee)

S. No.	Tax Deposited in respect of the	Challan identification number (CIN)																					
	employee (Rs.)]	BSR Code of the Bank Branch								Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)							Challan Serial Number					
	<u> </u>	-	<u> </u>	-	_	<u> </u>	_	Ļ	_	┡		_	_				_		_	-			
		+	┢		-	╁	 		-	\vdash			\vdash		_				<u> </u>	-			
<u> </u>			-	-	-	\vdash		_	H	╫			-			┝							
		-	_		_	_	_					_		_		_			_				
<u> </u>	<u>. </u>	+			\vdash	-		-	-	\vdash					_	-		\vdash					
	<u> </u>	-		_																			
	<u> </u>	+	_							_			H	-									
																er er en	80.40						
Total						-2111 : 					n, s Yes				i di ini Salah di				7. S.	. <u></u> 			

1. In the column for TDS, give total amount for TDS, Surcharge (if applicable) and education cess.

						-																
													L									
									NO.													\dashv
						00 0			e 31(1		061 for	Tor	dodu	otoc	late	OUTC	_					ᅴ
				sect	on 2	D3 01	the I	ncol	ne-tax	Act, I	901 101 Name	and a	addr	ucted at source cress of the Deductee								
Name and	d addre	ss of the Deduc	::tor 	_			_				Маши	, HHG		400								
											1			4 MT	of th	- Da		atas.				
P.	AN of t	he Deductor			1	AN	of the	e Dec	ductor	•			ľ	AIN	O1 III	e De	44	Lice				
<u> </u>				_																		
		CIT(TI	OS)							Ssessn	aent Ye	аг	T			.]	Pe	riod				-
			- 1							From	<u> </u>	-	Г		To		_					
		Pin coc						Ì				┢		rioi			\vdash	_				
City							Sum	mary	of pa	yment			7									
		and/anadited						_		ment			╅	D	ate o	f pay	m	ent/c	ere	dit		
	AMOUU	paid/credited					,,,		- Pu,			_}	+									
													_				_					
			Sun	nmar	y of	tax d	educ	ted a	t sout	rce in r	espect (of dec	Jucte	e								
Quari	ter	Receipt Number statements of (3) of section 2	TD	of ori	igina der s	l qua sub-s	rterl ectio	y n	Amount of tax deducted in respect of the deductee of the deductee of the deductee										in re	espe	ct	
																						
		TAILS OF TA						THI	ROUG	H CH	ALLAI	N										
S. No.		Deposited in pect of the							Book	identi	ficatio	n nui	nber	(BI	N)							
		eductee											1									
		(Rs.)	F	lecei		imbe lo.24	ers o	f Foi	m		Seque Book A Sta		tmen			Γ		te or dep ld/n	205	sited	d	ĸ
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																	۱		1	
	 		 	 		t	\vdash	1-	1				#			\sqcap	┪	十	7	十	十	十
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	⊢	<u> </u>	⊢	 	 	╄-	<u> </u>	 	 	╫─		<u> </u>	⊣	4	+	┽	+	+	┿
]					1						L			L					╛	$oldsymbol{\perp}$	
Total		:		ngin. Ngjarja	: "			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,	10000	and the	Amily.										
		TAILS OF TA						TH	ROUG	зн сн	ALLA]	N										
S. No.	T	ax Deposited i ect of the dedu (Rs.)	n	T						llan id												

	(Rs.)	BSR Co	ode of t Branc		ak	Ĭ	d	epos	hich sited			Challan Serial Number					
			$\perp \downarrow$				Ш				Ш					:	
Total						aktivaya Salibaya Salibadi											
				Verifi	cation	ì							•				
(designa and depo complete	, son/dau tion) do hereby certif osited to the credit of t e and correct and is ba e records.	y that a sum o the Central Go	f Rs vernm	 ent. I f	[R: urthe	s r cert	ify th	at tl	he in	(in w form	ords ation)] ha ı give	s bee en ab	en de ove i	ducte s true	ed e,	
Place																	
Date		S	ignatuı	re of pe	leduc	tion (of tax										
Designation	on:	I -	Full Name:														

Notes:

- 1. Government deductors to fill information in item I if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
- 2. Non-Government deductors to fill information in item II.
- 3. In item I and II, in the column for TDS, give total amount for TDS, Surcharge (if applicable) and education cess.
- 4. The deductor shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TDS statements of the assessee.
- 5. This Form shall be applicable only in respect of tax deducted on or after 1st day of April, 2010.";

" FORM NO. 24G (See rule 30 and rule 37CA) TDS/TCS Book Adjustment Statement

De	rtalls of Transfer voucher for the month ending (month)mm (year) y	n'ny													
1 Ac	occunts Officer details							ij							
			1		PAO registration Number (provided by Central			1 .							
	equnts Officer Identification Number (AIN)		I		Record Keeping Agency)			لسة							
	count office name*							.					•		
Ap-	counts Office Address*														
Ad	idress 1*				Address 2			1 .							
Ad	idress 3				Address 4			† *							
Cit	ty*				State*			{ }							
	N code*		 -1		Email id *			1							
ST	D code-Phone No*	[Ettidii 14			J .							
	-	<u> </u>	L		6.			ķ							
2 Re	esponsible persons details (see note 1)							N.							
	esponsible persons name*							Ļ							
	sponsible persons designation*							1							
	ssponsible persons designation= ssponsible persons Address*	L		•				W .							
								_ }							
	idress 1*				Address 2			<u>}</u>							
	idress 3				Address 4			1							
Cit					State*			1 ,							
	N code*				Emall id *			1 (
\$T	D code- Phone No*		[Mobile no. of the responsible person			1 %							
Ha If a	rpe of statement* as the statement been filed earier for this Month (Yes/No) answer to above is "Yes", then Provisional receipt no of original atement							ř ! }							
4 Ca	ategory of Deductor for whom statement is being submitted*: Cen	tral/State Government	:					•							
St	ate Name			Ministry					1						
	•	L		Sub Ministry	•				1						
				200 ITIII 11301 Y			L		j						
5 Of	DO wise details of transfer Vouchers							ï							
	DO wise details of TDS-Salary (24Q)														
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	т	1								
			1 1			ĺ	1			- (Tax		
			} }				}			i			Deducted/Collected		- 1
			}	!		1				Ì			(Sum of	Total TDS / TCS remitted	d to
S No alor	DO registration no (provided by Central Record Keeping Agency)	lana 4-		Name of		1							BaS_TAX,SUR,EDU_C	Government account (A	G/Pr
4440-101	no influenciation (broader by cettes) recold reabing the UCA)	DDO code	DDO*		Address 1*	Address 2	Address 3	Address 4	City* S	tate*	PIN Code*	Email id	less)*	CCA)*	
151															
151	152	153	154	155	156					161	162				165
151		153	154	155	156					161	162				165

5b	Total TDS/TCS amount transferred for TDS-Non-Salary (26Q)		_							1						
S.No.*	····	DDO code	TAN of DDO*	Name of DDG*	Address 1*								PIN Code	Email id	Tax Deducted/Collected (Sum of Bas_TAX,SUR,EDU_C ESS)*	Total TDS / TCS remitted to Government account (AG/Pt CCA)*
156		168	169	170		171	172	1	73	1 174	17	5 176	17	7 178		180
-	Tatal .		├──	 		-4				·	↓_		<u> </u>			
	1001		1	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		_				!	┸		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
	Total TDS/TCS amount transferred for TDS-Non-Resident (27Q)	<u> </u>	1	1	·	-т			т-	ř.	γ—				Tax	*
\$.No.*		ODO code	TAN of DDO*	Name of DDO*	Address 1"	_							PIN Code*		Deducted/Collected (Sum of BaS_TAX,SUR,EDU_C ESS)*	Total TDS / TCS remitted to Government account (AG/P) CCA)*
101	182	183	184	1 185		186	187	18	88	189	190	0 191	L 19	2 193	194	195
 	Total		1	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			_		 					
	1944	l.	ь	⊥.	<u> </u>	لمحد							<u> </u>	<u></u>		
. 5d	Total TDS/TCS amount transferred for TCS (27EQ)	1		1	1			 ·	т	:			Τ		Тах	
	DDO registration no (provided by Central Record Keeping Agency)	DDO code	TAN of DDO*	Name of DDO*	Address 1*		Address 2	Address:	3 Ad	dress 4	City*	State*	PIN Code*	Emaŭ id	Deducted/Collected (Sum of B#S_TAX,SUR,EDU_C	Total TDS / TCS remitted to Government account (AG/Pr CCA)*
196	197	7 198	199	200)	201	202	20	03	204	20	5 200	20	7 208	209	210
├ ──	Total		-	├	 						<u> </u>					
	Local	<u> </u>	<u> </u>		7.0						1	J		1		
	Statement Summary: Count of Distinct DDOs No of entries in item 5 Total TDS/TCS amount reported Total TDS / TCS remitted to Government account (AG/Pr CCA) hereby certify that all the partie	culars furnished above a	VERUFICATIO													
	Place: Oate:		Signature of	f the person (responsible (see note 1)			_		-						

Notes

- 1 Responsible person is the person made responsible in the office of Pay and Accounts Officer (PAO) or Treasury Officer(TO) or Cheque Drawing and Disburshing Officer (CDDO) for filing of this form.
- 2 Payments pertaining to all the nature of payment TDS-Salary(24Q)/TDS-Non-Salary(26Q)/TDS-Non-Resident(27Q)/TCS(27EQ) to be furnished in same form.
- 3 Furnishing of either DDO registration no. or DDO code is mandatory.
- 4 There can be maximum four entries (Nature of deduction wise) per ODO in every month.
- 5 This form shall be applicable only in respect of tax deducted/collected on or after 1st April, 2010.
- 6 The fields marked as * are mandatory.
- 7 Details of Ministry

Šr. No.	Ministry	
1	CIVII	
2	Railway	
_ 3	Defence	1, 111 J
4	Telecommunication	
5	Post	

6 Details of Sub Ministry(in case of Civil Ministry)

	Sub Ministry name									
	Agriculture									
	Atomic Energy									
	Fertilizers									
4	Chemicals and Petrochemicals									
5	Civil Aviation and Tourism									
6	Coal									
7	7 Consumer Affairs, Food and Public Distribution									
8	Commerce and Textiles									
9	Environment and Forests and Ministry of Earth Science									
10	External Affairs and Overseas Indian Affairs									
	Finance									
	Central Board of Direct Taxes									
13	Central Board of Excise and Customs									
	Contoiler of Aid Accounts and Audit									
15	Central Pension Accounting Office									
	Food Processing Industries									
	Health and Family Welfare									
	Home Affairs and Development of North Eastern Region									
19	Human Resource Development									
20	industry									
21	Information and Broadcasting									
22	Telecommunication and Information Technology									
23	Labour									
24	Law and Justice and Company Affairs									
25	Personnel, Public Grievances and Pensions									
26	Petroleum and Natural Gas									
27	Plannning, Statistics and Programme implementation									
28	Power									

Sr. No.	Sub Ministry name
	New and Renewable Energy
	Rural Development and Panchayati Raj
31	Science And Technology
	Space
33	Stee
34	Mines
35	Social Justice and Empowerment
	Tribal Affairs
37	D/a Commerce (Supply Division)
38	Shipping and Road Transport and Highways
	Urban Development, Urban Employment and
39	Poverty Alleviation
40	Water Resources
41	President's Secretariat
42	Lok Sabha Secretariat
43	Rejya Sabha secretariat
44	Election Commission
45	Andaman and Nicobar Islands Administration
46	Chandigarh Administration
47	Dadra and Nagar Haveli
. 48	Goz, Daman and Diu
49	Leismanweep
50	Pondicherry Administration
51	Pay and Accounts Officers (Audit)
. 52	Non-conventional energy sources
53	Government of NCT of Delhi
54	Others

7 Datails of State

7	Details of State
Sr. No.	State Name
ī	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
	ANDHRA PRADESH
3	ARUNACHAL PRADESH
	ASSAM
5	BIHAR
6	CHANDIGARH
7	CHATTISHGARH
8	DADRA & NAGAR HAVEU
<u> </u>	DAMAN & OIU
10	DEUR
11	GOA
12	GUIARAT
13	HARYANA
14	HIMACHAL PRADESH
1.5	JAMMU & KASHMIR
16	JHARKHAND
17	KARNATAKA
18	KERALA
19	LAKSHWADEEP
20	MADHYA PRADESH
21	MAHARASHTRA
22	MANIPUR
23	MEGHALAYA
24	MIZORAM
25	NAGALAND
26	ORISSA
27	PONDICHERRY
28	PUNJAB
. 29	RAJASTHAN
30	SIKKIM
31	TAMILNADU
32	TRIPURA
	UTTAR PRADESH
	UTTARANCHAL
35	WEST BENGAL
LI	

•

(iii) for Form No. 27D, the following Form shall be substituted, namely:-

													1								
							•	'FOR													
								[See		2											
					sectio	n 206	C of t	he Inc	ome-	tax Act				lected a							
Name a	ad add	ress of the (Collec	tor							1	(am	and a	iddress	of tl	he Co	ollec	cte	e		
	PAN o	f the Collec	tor		Т	AN of	the C	Collect	or				PAN	of the	Coll	ectee					
Addres	e	CIT	(TDS		1	<u></u>		1.	Asse	ssment	Year			,		Peri	od				
		····						-						From		T	•		To		
City		Pi	in cod	e	· • · • · · · ·							ı									
							Su	mmai	y of	receipt											
	Amoun	t received/d	ebited	1			N	lature	of re	ceipt				Da	te of	f rece	ipt/	/del	bit		
												\perp									
						Sum	mary	of tax	colle	cted at	source										
Quai	rter								collecte collec		respe	ct of		lepos	sited	l/re	of ta emitte e coll	d ii			
												丁									
	(The C	ETAILS O					7	ΓHRO	UGE	I BOO	K ENT	RÝ.								T	
S. No.	in r	Deposited espect of collectee						Ba	ok ic	lentifi	cation	hип	sber (1	3IN)							
		(Rs.)		BA			r give O/TO				O Sequ Book A St	L dj u					dej	pos	hich sited yyyy		
									L									T	T		
												Τ				\prod	1	7	丁	T	П
												T	\top			\sqcap	十	†		T	T
Total			N N							No. pro-											
		ETAILS OF						THR	OUG	H CHA	HE CE	NT	RAL (OVER	NM	ENT	AC	CC	DUNT	Γ	
	(The C	Collector to a	arović	le nai	mant	wies .	dataile	of to-	11	+		1				4					

S. No.	Tax Deposited in respect of the collectee (Rs.)		Challan identification number (CIN)																			
į		F	BSR	Cod B	e of ran		Ban	ık			d	epo	whi site n/y	d				Cha	llan	Seria	al Num	ber
							-			_			_		_							
					 	 	 	Н	+	1				H	╫	-	-	\dagger				-
Total	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *							. **** ****	:				Wing S		***				
	(* - * * * * * * * * * * * * * * * * * *					7	V	erifi	catio	n					•		,			•		· · · · · · · · ·
(designa source ar true, con	, son/dat tion) do hereby certif nd deposited to the ca aplete and correct and allable records.	fy tha edit	t a : of tl	sum he Co	of F entr	ts ral G	iove	rnm	[R ent	s I fu	rthe	er c	erti	l.	(í hat	n w the	ord: info	i)] h rma	as bo tion	een c give	ollecte n above	d at e is
Place		•	·											T					<i>-</i>	*****		·,— ,,
Date					<u></u>	15	Sign	ature	of p	erso)B F	esp	onsi	ble	for	colle	ctio	of 1	ax			
Designati	en:					- 1	Full Vam							\dagger							<u>-</u>	

- 1. Government collectors to fill information in item I if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
- 2. Non-Government collectors to fill information in item II.
- 3. In item I and II, in the column for TCS, give total amount for TCS, Surcharge (if applicable) and education cess.
- 4. The collector shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TCS statements of the assessee.
- 5. This Form shall be applicable only in respect of tax collected on or after 1st day of April, 2010.".

Notification No. 4//2010

[F.No. 142/27/2009-SO(TPL)]

(Rajesh Kumar Bhoot)

Director (Tax Policy And Legislation)

Note. The principal rules were published vide, Notification No. 969(E), dated the 26th March 1962 and last amended by the Income-tax(5th Amendment) Rules, 2010 vide Notification S.O.1211(E) dated 21st May,2010.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना ाई दिल्ली, तारीख **31 मई**, 2010 आय-कर का.आ. (अ) - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त 🗀 ्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर्र नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता া ্ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ইন্কের) संशोधन) नियम, 2010 है। (2) ये १ अप्रैल, 2010 को प्रवृत्त होंगे 1 2. आय-कर नियम, 1962 में,-(का): वियम 30, 31, 31क और 31क़क के स्थान पर निम्नालिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात :--"रवोत पर कार्ट गए कर या धारा 192 की सपधारा (1क) के अधीन संदत्त कर के सरकारी खाते में 📖 संदाय करने का समय और ढंग । 30. (1) अध्याय 17ख के उपवंधों के अनुसरण में सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटी गई सभी राशियों केन्द्रीय संरकार के जमा खाते में -ে ে (ळ) ा जहां किसी आंय-कर चालान को पंश किए बिना कर संदत्त किया जाता है, उसी दिन्नः संदत्त की जाएगी ; और (ভ) जहां, किसी आय-कर चालान के साथ कर संदत्त किया जाता है, वहां, उस मास के अंत से जिसमें कर की कटौती की जाती है या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन शोध्य हो जाता है आय-कर या सात दिन के भीतर कर संदत्त करना होगा । (2) सरकार के किसी कार्यालय से भिन्न किसी कटौतीकर्ता द्वारा अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसरण में काटी एइ सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में -

(क) जहाँ आय या एक मार्च मार्स में जमा या संदत्त है तीस अप्रैल को या उसके पहले संदत्त

(ख) किरी अन्य दशा में, उस मास के अंत में ,या उससे सात दिन के भीतर संदत्त की जाएगी,

की जाएगी : और

जिसमें-

है अर्थात :--

- (i) कटौती की गई है; या
- (ii) धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन आय-कर शोध्य हैं।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष मामले में, निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 192 या धारा 194क या धारा 194व या धारा 194ज के अधीन कर कटौती का तिमाही संदाय करने को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वितीय वर्ष की तिमाही के लिए, उक्त सारणी के रतंम (3) में निर्दिष्ट अवधि में, अनुज्ञात होगा :- -

सारणी

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत पर	तेमाही संदाय के तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	7 जुलाई
2.	30 सितंबर	7 अक्तूबर
3.	. : 31 दिसम्बर	7 जनवरी
4.	3† मार्च	30 अप्रैल ।

ख- संदाय की ढंग

- सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां कर किसी चालान के बिना केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में 🗀 🗆 संदत्त किया जाता है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोत्राधिकारी या वेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति बाहे उसे किसी भी नाम से पुकास जाए कटौतीकर्ता इस प्रकार वर कटौतीं की रिपोर्ट और जो ऐसी राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी है केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में 🕟
 - (क) जक्त मास के लिए कटौतीकर्ता द्वारा कर कटौती के संबंध 🕇 और उसकी रिपोर्ट महानिदेशक, आयकर (प्रणालीं) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को मास के अंत से दस दिन के भीतर प्ररूप सं0 24छ में विवरणी जमा करेगा : और
 - (ख) अभिकरण द्वारा प्रत्येक कटौतीकर्ता की बाबत जिसने कर कटौती राशि जमा की है, द्वारा उत्पन्न : संख्या (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात खाता पहचान संख्या कहा गया 🕻) सूचित करेगा ।
- (5) उपधारा (4) के प्रयोजन के लिए महानिवेशक, आयकर (प्रणाली) डाटा की सुरक्षित रूप में रखने की प्रक्रिया रुपविधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा संचलन सुनिष्टियत करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट सूचना देने की ढंग 🕟 के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी होगा ।
- (6) (i) जहां कर किसी आय-कर चालान के साथ जमा किया गया है, इस **क्रार कटौती या** जमा किए गए कर की रकम उपनियम (1) के खंड (ख) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में विक्रिविंड्ट समय के भीतर भारतीय रिजर्व वैंक या भारतीय रटेट बैंक या कोई प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में प्रेषण वीरा केंद्रीय सरकार के खाते में जमा होगी;
- (ii) जहां कर खंड (i) के अनुसरण में जमा होता है नियम 125 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित कर कटौती किसी इंलेक्ट्रानिक आय-कर चालान के साथ जमा होगी ।

- (7) इस नियम के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को रकम का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषण का वही अर्थ होगा यदि रकम
 - (क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इंटरनेट बैंककारी सुविधा के माध्यम से प्रेषित की जाती है ; या
 - (ख) डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रेषित की जाती है !
- (8) जहां कर कटौती 1 अप्रैल, 2010 से पहले की गई है इस नियम के उपांच आय-कर (............संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रस्थापन से पहले इस नियम के उपबंध तत्काल लागू थे समझा जाएगा ।

धारा 203 के अधीन स्त्रोत पर कार्ट गए कर का प्रमाणपत्र देना

- 31.(1) किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कार्ट गए कर का प्रमाणपत्र अध्याय 17ख के अनुसरण में या धारा 192 की ः उपधारा (1क) के अधीन कर्मचारी के निमित्त नियोजक द्वारा कर के संदाय का प्रमाणपत्र निम्नलिखित में-
- (क) यदि कर कटौती या संदाय धारा 192 के अधीन की जाती है तो प्ररूप सं. 16 में होगा 🖫 और 🧢
- (ख) यदि कर कटौती या संदाय अध्याय 17ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन की जाती है तो प्ररूप सं. 16क में होगा ।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :-
- (क) कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का विधिमान्य स्थायी खाला संख्या (पैन) ;
- (ख) कटौतीकर्ता का विधिमान्य कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या (टैन) ;
- (ग) (i) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, घालान को पेश किए जाने के बिना कर कटौती को जहां जमा किया जाता है खाता पहचान संख्यांक या संख्यांकों :
 - ं(हि) बैंक के माध्यम से संदाय की दंशा में चालान पहचान संख्यांक या संख्यांकों ।
- (घ) (i) क्रोंत पर कर कंटौती के संबंधित त्रैमारिक विवरणी की प्राप्ति संख्य जिसे नियम 31क के उपबंधों के अनुसरण में दिया गया है ;
- (ii) स्रोत पर कर कटौती के लिए खंड (i) में जहां आय ' वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य है निर्दिष्ट विवरणी की दशा में सभी संबंधित तिमाही विवरणियों के प्राप्ति संख्यांक ।
- (3) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रमाणपत्र, यथास्थिति, कर्मचारी या संदायकर्ता को, जो स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के अनुसार हैं और उक्त भारणी के स्तंभ (4) में कि तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय द्वारा देने होंगे।

सारणी

क्रम सं.	प्ररूप सं.	नियतकालिक	देय तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	16	वार्षिक	वित्तीय वर्ष जिसमें आय संदत्त की गई है और कर कटौती की गई है के तत्काल अनुगामी वित्तीय वर्ष के मई की 31 तारीख तक
2. *** * * * * *	16ණ	तिमाही	स्रोत पर कर कटौती की विवरणी नियम 31क के अधीन देने के लिए नियंत तारीख से पंद्रह दिन के भीतर

(4) यदि कोई निर्धारिती वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोजक द्वारा नियोजित किया जाता है, प्रत्येक नियोजक है। द्वारा ऐसे निर्धारिती जब वह नियोजित किया गया था की संबद्ध अवधि का पुरुष सं. 16 में भाग क में प्रमाणक्षित है। इ जारी करेगा और भाग ख प्रत्येक नियोजक द्वारा या निर्धारिती के विकल्प पर अंतिम नियोजक द्वारा जारी हो। सकेगा ।

- (5) कटौतीकर्ता प्ररूप सं. 16 या प्ररूप सं. 16क में प्रमाणयत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा, यदि कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो जाता है और वह दूसरी प्रति के लिए जारी करने के लिए अनुरोध करता है तथा ऐसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति कटौतीकर्ता के द्वारा दूसरी प्रति के रूप में प्रमाणित है 1000
- (6) (i) जहां कोई प्रमाणपत्र प्ररूप सं. 16 में दिया जाना है कटौतीकर्ता का यह विकल्प होगा कि ऐसे प्रमाणपत्रों पर पाधिकुत करने को अंकीय हस्ताक्षर का उपयोग कर सकेगा ।
 - (ii) खंड, (i) के अधीन जारी प्रमाणपत्रों की दशा में कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि-
 - (क) उपनियम (2) के उपबंधों का अनुपालन किया है ;
- (ख) एक बार प्रमाणक्षत्र अंकीय हरताक्षरित किया जाता है प्रमाणक्षत्र की अंतर्वस्तु में परिवर्तन संशोधन योग्य ा व नहीं हैं ; और
- (ग) प्रमाणपत्र पर एक नियंत्रक संख्या होगी और ऐसे प्रमाणपत्रों की लॉग कटौतीकर्ता द्वारा रखी जाएगी में कि (१) जहां कोई प्रमाणपत्र १ अप्रैल, २०१० से जहले कर कटौती के लिए दिया जाता है इस मंकार दिए गए प्ररूप कि नियमों के उपबंधों के अनुसरण में होगा मानों दे आयकर (संशोधन) नियम, २०१० द्वारा उनके प्रतिस्थापन के ठीक पहले से ही थे।

स्पष्टीकरण,- इस नियम और नियम 27ध के प्रयोजन के लिए , चालान पहचान संख्या से बैंक साखा की मूलं कि सांख्यिकी विवरणी पर समाविष्ट संख्या अभिप्रेत है जहां कर जंगा किया जाता है वैंक द्वारा जिसा तारीख को कर किया जमा किया जाता है और चालान का क्रम संख्या दी जाती है।

。中国"国家"第二年的简单(1)

opultaje uzali

धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन कर कटौती की विवरणी

- 31क. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो अध्याय 17ख के अधीन कर कटौती के लिए उत्तरदायी है, धारा 200 की उपधारा (3) है । के उपबंधों के अनुसरण में आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति । को निम्निसिखित तिमाही विवरणियां देगा, अर्थात् ।
- (क) धारा 192 के अधीन कर कटौती के विक्रणी प्ररूप सं. 24थ में ;
- (ख) घारा 193 से धारा 196घ के अधीन कर कटौती की विवरणी -
- (i) कटौतीकर्ता, जो किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी या निवासी किन्तु सामान्यतः निवासी नहीं हैं होते के कारण अनिवासीय भारतीय है प्रस्त 27थ में ; और
 - (ii) सभी अन्य कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्ररूप 26थ में ।
- (2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वार्त वितीय वर्ष की ितमाही के लिए उपियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी उक्त सारणी के सांभ (3) में तत्स्थानी प्रविद्धि में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक

. सारणी

. [क्रम सं	वितीय वर्ष के तारीख को समाप्त होने वाली तिमाही		नियत तारी	<u>ब</u> :	į
	(1)	(2)		(3)		
	1	30 जून	वित्तीय वर्ष की 15	<i>जुल</i> ई	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	2.	30 सितम्बर	वित्तीय वर्ष की 15	अक्तूबर	·	
•	3.	31 दिसम्बर	वित्तीय वर्ष की 15	जनवरी	•	

4:	31 मार्च	वित्तीय वर्ष जिसके लिए कटौती की गई हैं, वे तत्काल पश्चात् के नित्तीय वर्ष की 15 भई								
l <u></u>		ं के के कि कि ना में नी जा सकेती आशीट के								
	•	त होग में से किसी एक वे दी जा सकेगी, अर्थात् :-								
	Jत प्ररूप में विवरणी देनी होगी ;									
(ख) उपा सत्यापन	नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधा के साथ इलैक्ट्रानिक विवरणी देनी होगी ।	न और मानकों के अनुसरण में, प्ररूप 27क में विवरणी व								
(ii) ज	हां,-									
(क) कर	तिकित् सरकार का कोई कार्यांतर है ; य	A CARLO TO ST								
(ඡ) ආර්	तिकिता किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी है 💢	या								
	ोतीकर्ता कोई व्यक्ति है जो पूर्व वितीय वर्ष के कराना अपेक्षित है ; या	तत्काल परचात् धारा 44कख के अधीन अपने लेखों क								
(घ) विर्त्त		कदौती किए जाने याले व्यक्ति के अभिलेखों की संख्य								
कटौंतीक	र्ता खंड (i) के मद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में विव	पर्णी देगा !								
(iii) 3	製施	। भिन्न कोई व्यक्ति है अपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण								
(4) कदौत्तीकर्ता कर कटौदी की विवरणी तैयार करते समय, -										
ू (i) विष	वरणी में अपना कर कटोती और संग्रहण खाता सं	ख्या (दैन) कोट करेगा ;								
* '		क्षंय उन गामलों में जहां कटौतीकर्ता सरकार का को								
	है, कोट करेगा ;	and the second second								
(iii) सर्थ	ने कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के स्थायी ख	ता संख्या कोड करेगा ;								
, ,	पुरकार को कर संदाय की विशिष्टियां, जिसके अं हे, देगा ।	तर्गत, यधास्थिति, खाता पहचान संख्या या चालान पहचा								
	था इस प्रकार विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी को देने	योजन के लिए प्रक्रिका, रूप विधान और मानक वितिर्दिष के संबंध में दिनप्रतिदिन का प्रशासन करने के लिए भी								
(6) जह नियम औ	ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਨ ਨਵੀਰੀ ਨੂੰ ਵਲੋਵ ਵਿਕਾਸੀ । आ	वेल. 2010 से पहले कर कटौती के लिए दी जाती है इर इंडों शोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन या लोप र								
	96ग की उपधारा (3) के परंतु के अधीन कर सं									
3 १ कक. महानिदेश	(1) प्रत्येक संग्रहकर्ता धारा 206 प्र की उपधार	i (3) के परंतुक के उपबंधों के अनुसरण में आयक) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रस्ता 27ड़श में तिमाई								
	(1) में विनिर्दिष्ट वियरणी खदत सारणी के स्तंभ	छ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए : (3) में तत्त्रश्चानी प्रविधिः में विनिर्दिष्ट नियत तारीख: तव								

	_^
स	₹UI]

क्रम सं.	वितीय वर्ष के तारीख को समाप्त होने वाली तिमाही	नेयत दारीख
(1)	(2)	(3)
1.	30 जून	वित्तीय वर्ष की 15 पुलाई
2.	30 सितम्बर	वित्तीय वर्ष की 15 अक्तूबर
3.	31 दिसम्बरं	वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी
4.	31 मार्च	वित्तीय वर्ष जिसके लिए कटौती की गई है, के तत्काल पश्चात् के वित्तीय वर्ष की 15 मई

- 💛 (3) 🖰 (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी की निम्नलिखित ढंग में से किसी एक में दी जा सकेगी, अर्थात् 🤃 🗀
 - (क) उचित प्ररूप में विवरणी देनी होगीं ;
 - (ख) उपनियम (5) के अधीन दिनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसरण में, प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलैक्ट्रानिक विवरणी देनी होगी ।

(ii) जहां.-

- (क) कटीलीकर्ता संश्कार का कोई कार्यालय है ; या
 - (ख) कटांतीकर्ता किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी है ; या
- (ग) कटोतीकर्ता कोई व्यक्ति है जो पूर्व वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् धारा ४४कख के अधीन अपने लेखों । का संपरीक्षा करना अपेक्षित है ; या
- (घ) वित्तीय यर्थ की किसी तिमाही के किसी विवरणी में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के अभिलेखों की ा संख्या बीस या अधिक है,

कटौतीकर्ता खंड (i) के मट (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी देगा ।

- (iii) जहां कटोतीकर्ता खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई त्यक्ति है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उसके विकल्प पर , खंड (i) के मद (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग में परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।
- (4) कटौतीकर्ता कर कटौती की विवरणी तैयार करते समय, -
 - (i) विवरणी में अपना कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टैन) कोट करेगा
- ्ा(ii): विवरणी. में अपना. स्थायी लेखा -संख्या (पैन) सिवाय उन मामलों में जहां कटौतीकर्ता सरकार का कोई... कार्यालय है, कोट करेगा ;
 - (iii) सभी कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के स्थायी खाता सं. कोट करेगा
- (iv) सरकार को कर संदाय की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, खता पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी है देगा !
- (5) महानिदेशक आयकर (प्रणाली) विवरणी को देने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार विनिर्दिष्ट ढंग में विवरणी को देने के संबंध में दिनप्रभिदिन का प्रशासन करने के लिए भी उत्तरदायी होंगा।

- (ख) निधम 37क का लोग किया जाएगा ।
- (ग) नियम 37गक और नियम 37ध के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :- 💛 💛 🖖 💮

" धारा 206ग के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण को सरकारी खाते में संदाय करने का समय और ढंग 🕟 💛 37466

- (1) सहकार के किसी कार्यालय द्वारा धारा 206म की एपधारा (1) या उपधारा (1म) के उपबंधों के अनुसरण में संगृहीत सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में -
- (क) उसी तारीख को, जिस तारीख किसी आयकर चालान को संदत्त किए बिना इस प्रकार कर संदत्त कियां जाता है : और
- (ख) जहां कर किसी आयकर चालान के साध संदत्त किया जाता है वहां उस मास की अंत से जिसमें कर कटौती -की जाती है सात दिन के भीतर संदत्त किया आएगा ।
- (2) सरकार के किसी कार्यालय से भिन्न संग्रहकर्ता द्वारा धारा 206म की उपधार (1) या उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसरण में संगृहीत सभी राशियां के दीय सरकार को मास की अंतिय तारीख जिसको ऐसा संग्रहण किया जाता है से एक सप्ताह के भीतर केन्द्रीय सरकार के जम। खादे में संदत्त करना होगा ।
- (3) रुख्कार के किसी कार्यालय की दश में, जहां किसी चालान को पेश किए बिना केंद्रीय सँरकार के जनम खाते. ों कर संदत्त किया जाता है, वेतन और लेखा अधिवारी या कांचाधिकारी या वेक आहरण और संवितरण अधिकारी ा या कोई अन्य व्यक्ति चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार जाए। इस प्रकार लगुहीत कर की स्पिटि संप्रहरूर्त और भी केंद्रीय सरकार के जमा खाते में ऐसी एशि अमा करने के लिए अत्तरवायी है,
 - (क) महानिदेशक, आयकर (प्रणासी) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को संप्रहकर्ता द्वारा संगृहीत कर के संबंध में 🖯 और इस मास के लिए उसे रिपोर्ट मास की समाप्ति से दस दिन के भीतर प्ररूप 24छ में विवरणी जन्म करेगा ; और
 - ्रियु) राशि जिसे जुना किया गया था के संबंध में, प्रत्येक संग्रहकर्ताओं को अभिकरण द्वारा व्युत्पन संख्या 🖰 (जिसे इसमें इसके पश्चात खाता पहचान सं० कहा गया है) सूचित करेगा ।
- (4) उपनियम (3) के प्रयोजन के लिए, महानिदेशक, आययार (प्रणाली) छाटा को सुरक्षित रूप में रखने की 🗵 प्रक्रिया क्यदिधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा डाटा के पारेषण को सुनिष्टियत करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट सुचना देने के ढंग के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी दौरा।
- (5) (i) जहां कर किसी आय-कर चालान के साथ जमा किया गंगा है इस किनार कटोती या जमा किए गए कर की रकम धारा 2067 की अपधारा (1) या उपधारा (17) के अधीन केंद्रीय सर्कार के जमा खाते में, उपनियम (1) के खंड (ख) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भारतीय रिजर्व विंक या भारतीय रहेट बैंक या क्रोई gradient frankliche State प्राधिकत बैंक की किसी शाखा में प्रेषण द्वारा जमा होगी ;
- (ii) जहां कर खंड (i) के अनुसरण में जमा होता है नियम 125 के उपनियम (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भारतीय : रिजर्व बेंक या भारतीय स्टेट बेंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित कर कडीती किसी इलेक्ट्रानिक आय-कर चालान के साथ जम। होगी 🗓

电分级电影电影 化磷

- (6) इस नियम के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को रकम का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषण का वहीं अर्थ होगा यदि रकम -(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट वैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इंटरनेट बैंककारी सुविधा के माध्यम से प्रेषित की जाती है ; या ्र (ख) डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रेवित की जाती है । (7) जहां कर कटौती 1 अप्रैल, 2010 से पहले की गई है इस नियम के उपाध आय-कर (......संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रस्थापन से पहले मानो इस नियम के उपबंध तत्काल वागू थे । ्धारा 206ग(5) के अधीन स्रोत पर संगृहीत कर का प्रमाणपत्र -37घ (1) स्रोत पर कर संग्रहण का प्रमाणगंत्र धारा 206ग की उपधारा (5) के वधीन प्ररूप 27घ में संग्रहकर्ता द्वारा ा विद्यो जाएगा हिंदा हो। ये सम्मानुस्तर है है से हिंदी है है है ्रु (2), उपनियम (1) भें निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :-्र (क) कलेक्ट्री व्यक्ति का विभिन्न स्थायी खाता सं. (पैन) ; ि(ख) संग्रहकर्ता का विधिमान्य कर कटौती और संग्रहण लेखा सं (टैन) ; ja oj ki zmala set no tronosera distali d ्र(ग) (i) सरकार के किसी कार्यात्मय की दशा में बाजान को पेख किए जाने कि बिना कर कटौती की जहां जमा किया जाता है काता पहचान संख्यांक या संख्यांकों ; ्र (ii) बैंक के माध्यम से संदाय की दशा में चालान पहचान संख्यांक या संख्यांकी । (घ) स्नोत पर कर संग्रहण से संबंधित तिमाही निवरणी की प्राप्ति सं. जिसे नियम 31कक के उपबंधों के अनुसरण में दिया गरा है 🖫 ं(3) जिप्पतियमः (1). में निर्दिष्ट प्ररूप र्स. 27धः में प्रमाणपत्र नियम 31कक के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट ं स्रोत पर कर संगृहण की विवरणी देने के लिए नियन तारीख से पन्द्रह दिनों के मीतर कलेक्टी को देनी होगी । 🕏 (4) कटौतीकर्ता प्रक्लप सं. 27च में प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा यदि कलेक्टी का इस प्रकार जारी मुल प्रमाणपुत्र खो जाता है और वह दूसरी प्रति जारी करने के लिए अनुरोध करता है तथा ऐसे प्रमाणपुत्र की दूसरी प्रति कटौतीकर्ता के द्वारा दूसरी प्रति के रूप में प्रमाणित की जाती है।
 - (5) जहां कोई प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2010 से पहले कर संग्रहण के लिए दिया जाता है इस प्रकार दिए गए प्ररूप नियमों के उपबंधों के अनुसरण में होगा मानों वे आयकर (संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन के लीक पहले से ही थे ।

(घ) परिशिष्ट 2 में,--

(i) प्रस्त्य सं० 16 और प्रस्त्य सं०१६क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :

"प्ररूप सं. 16 [नियम 31(1)(कं) देखिए]

		· .	•	भागः	ਸ			
	वेतन से	स्रोत पर	कटौती किए गए कर के लि	ए आयङ	र अजिनियम, 1961	वि) धारा 2	203 के अधीन	प्रसाण-पत्र
नियो	जवः का	नाप और	ण्या	क	र्मचारी का नाम और	परनाम		
				- 				
कटी	तीकर्ता द	ร: น้ำร	कटौतीकर्ता का दैन	ক	चित्ररी का पैन			
				:	· ·			
- agg.,			.ही (टीडीएर)		निर्धारण वर्ष		अ	विधि है . है ह
न्यसूर्			पिन कोड		J. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.		v i ,	तक
							· .	
V	to should		तंक्षेप वें खे	ोत पर ध	टोती किया गया कर		; = :	
	तिनाही धाए 20 की संपदास (3 अज़ीन टीडीएस छे मूल वि जी प्राप्ति संख्या				कर्मचारी सं कटौती किए यर रकम	संबंधित कर की	कर्मशारी जमा/विप्रेषित की रकम	सं संबंधित किए गए कर
	तिमाही	3						
	तिनाही	2						
	तिमाधी	3						
	तिमाही	4		-	-		i	
	कुत							
			31(1	गख (टि	मण 1 देखें)			· · · ·
संदत्त	वितन अ	ौर किसी _.	अन्य आय और काटे गए व	त्र का ब्यं	ोश वि		**************************************	36 F. 2
	सकल	वेलन						
	(क)	्धारा 17	(1) में अंतर्थिष्ट उपबंधी के	अनुसार है	ोतन	रु.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(ख)		(2) के अधीन परिलब्धियों व तर्जातं लागू हो)	न मूल्य (प्ररुप सं 12खख	₹ - × - × - × - × - × - × - × - × - × -	<u>.</u>	
	(ग)		(3) के अधीन वेतन के बदल	रे लाभ (प्र	रस्य सं. १२खख के	₹.		
	<u> </u>	अनुसार	्षडां लागू हो)	<u></u>		ļ		<u>.</u>
	. i	कुल		/	<u></u>		<u>42</u> '	· {
2.	घटाइए	: धारा 1	o के अधीन छूट की रिना ।	तक भत्ते		₹.		
	<u> </u>		भित्ता 		₹. 	: 		

			₹.	₹ रु.	
			<u> </u>		<u> </u>
3	अतिशेष (1-2)		<u> </u>	₹. 3	
4	कटौतियां :			 	
ļ	(क) मनोरंजन मता		<u>₩</u>	1	-
	(ख) नियोजन पर कर		 	<u> </u>	·
5	.4(क) और (ख) का योग			-	1
6.	'वेलन' शीर्ष के अधीन प्रमार्थ आय (3-5)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, रु,
-	जोड़े : कर्मचारी द्वारा रिमेर्ट की गई कोई अन्य आय	/*	- 	 	(Table
	अत्य				-
i	0.14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	
ļ		, , , ,		। रु.	
 8	सकल कुल शाय (6±7)				】 を,
9	अध्याय ६०० के अधीन करोतियां		-	1 - 1	
	(क) धारा ६६१ । धारा ८६२१ गरा और धारा ४० गराघ				
<u> </u>	(ক) খান ৪০৭			सङ्ख	कटोरी
		•		स्कन्	योग्य
i .				1	रकम
			 	T. C.	
L	 	···: +		-	+
	1. (ii) the state of the second secon		<u> </u>		r 121
				 - ≱∵ (°)	<u> </u>
	(iv)			₹, ;;;	<u> </u>
	<u> (v) </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ড ়ে	
: 	(vi)		<u> </u>	र	!
	(vii)		<u> </u>	₹. ,	
	(ख) धारा 80गगम		1	•	₹640.1
	(ग) शास 80समध			ফ, ্ৰ	₹6, 11
	टिप्पण : 1. धारा 30म के अधीन कुल कवाँती योग्यं	रकर एक लाख	:		# . VIII
	रुपए से अधिक नहीं होगी ।	j		1 477 2	(60) N
	2. तीन धाराएं अर्थात् ४०म. ४०ममश् और ४०ममध् के	अधीन कटोती			
	वांग्य कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी			2147 (7	
	(स) अध्याय ६-क के अधीन अन्य धाराएं (उदाहरणार्थ,	80골 80광) 4	:		1.15
				over contra	
			. सकल 	अर्हक रकम	कटौती रेप
			रकम		योग्य
	(2)		: 	<u> </u>	रकम
	(i) द्वारा		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	₹. :	. रह.
<u> </u>	(ii) धारा		· 夜, 	♥ ,	-34
	(iii) धारा		物。 で。	₹5. (1.55)	° रहे.

	(v) धारा.				` •	•	₹		₹5.		₹.
10	अध्याय ६व	न के अधीन कटौर	ी योग्य रह	रुम का योग						٠.	रु. ∴
11	कुल आय	(8-10)						₹.			
12	कुल आय	पर कर			<u>-</u> -			रु.			
13	शिक्षा उपव	जर @ 3 % (क्रम	रां0 12 में	संगणित क	र पर)						रु
14	संदेय कर	(12 + 13)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			<u> </u>		<u> </u>		₹.
15	घटाएं धारा	89 के अधीन रा	हत (ब्यौरा	संलग्न करे)							₹,.
16	संदेश कर	(14-15)			· .			EE	 !		₹5
	d			सत्य	ापुन			,		.———	
· · · ·			·	:	·		<u> </u>		· · ·	· ·	
<u>&</u>			पुत्र/पुत्र	Î			जो (पर	नाम)	की हैरि	ग्यत में	.कार्य व
रहा/र	ही है यह प्र	माणितं कश्हा/कर	रती हूं कि			नंपए [कंय	d ,				. (शब्दी-
रुपए)] की राशि	की कटोती की	मई है अ	और केंद्रीय	सरकार के	खाते में	संदत्त की	गई है	ति भी	यह औ	र प्रमाणि
		ह उपरोक्त दी गई									
	ठीक हैं ।		1						e i sing		
स्थान				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	;	ερ ¹⁷ .		
<u>-</u> -			: . 	·					- 		·
तारीख	<u> </u>		ाः स्टब्स्	कटौती के.	ਕਿੰਘ ਤਜ਼ਾਵ	ਵਾਈ ਨਾਹਿ	में के द्रस्त	'਼ਬਰ	13.34		
VIERO			1	: MARSINE MO		<u>चाला ज्याप</u>	42 6 6 6 6	raning and a second		.	
पदनाः						—————	11 42 0 0 0 0			****	
·			पुरः ना				1 47 000	:			
पदनाः	F						32 000	:			
·	F	यदि वर्ष के दीए	पूर् ना	я					ं : - ं : : - ं : :	जित है	तो;ं
पदनाः	F	यदि वर्ष के दोएं। प्रत्येक नियोज	्रे पूरः ना न, कोई नि	म प्रांसिती <u>ए</u> क	नियोजक	से अधिक	नियोजक	के अर्ध			
पदनाः	F	प्रत्येक नियोज जिसके लिए ऐस	पूर ना न, कोई नि क, उस अ । निर्धारित	म भिरिती एक विधि से संबं ो प्रत्येक निर	नियोजक धित अरूप ग्राजक के	रं अधिक सं0 16 अधीन निर	नियोजक प्रमाणपत्र ोजित था	के अर्ध का व	गग-क	जारी व	हरेग्रा
पदनाः	T →	प्रत्येक नियोज जिसके लिए ऐस भाग-ख प्रत्येक नि	पूरा ना न, कोई नि क, उस अ । निर्धास्ति	म मिर्जि एक विधि से संवी प्रित्येक निव । अंतिम निय	नियोजक धित अरूप ग्राजक के ग्राजक द्वारा	रें अधिक सं0 16 र अधीन निर जारी कि	नियोजक प्रमाणपत्र ोजित था त जा सके	के अर्ध का १ निर्धा	गग-क रिती के	जाशे व विकल्प	हरेगा गपर
पदनाः	T →	प्रत्येक नियोज जिसके लिए ऐस भाग-ख प्रत्येक नि सरकारी कडौतीव	पूर ना न, कोई नि क, उस अ । निर्धारित नैयोजक य हती जुमाब	म भिर्मिती एक विधि से सर्वे प्रित्येक निव । अंतिम निव ध-क संलग्न	नियोजक धित ग्ररूप गंजक के गेजक द्वारा करें, यदि	रें अधिक सं0 16 व अधीन निर जारी कि कर को	नियोजक प्रमाणपत्र गेजित था ग जा सके आय-कर	के अर्ध का १ निर्धा गा चालान	भाग-क रिती के प्रस्तुत	जाशे व विकल्प किए	हरेग्रा १ पर विना
पदनाः	T →	प्रत्येक नियोज जिसके लिए ऐस भाग-ख प्रत्येक जि सरकारी कटौतीय संदत्त किया ग्य	पूर ना न, कीई नि क, उस अ । निर्धास्ति नैयोजक य हर्ता जुपावे । हैं और	म मि मिस से सर्व मित्रेक निर मित्रेक निर मित्रेक संलग्न उपादंघ-ख	नियोजक धित ग्ररूप गंजक के गेजक द्वारा करें, यदि	रें अधिक सं0 16 व अधीन निर जारी कि कर को	नियोजक प्रमाणपत्र गेजित था ग जा सके आय-कर	के अर्ध का १ निर्धा गा चालान	भाग-क रिती के प्रस्तुत	जाशे व विकल्प किए	हरेग्रा १ पर विना
पदनाः	T →	प्रत्येक नियोज जिसके लिए ऐस भाग-ख प्रत्येक नि सरकारी कडौतीव	पूर ना न, कीई नि क, उस अ । निर्धास्ति नैयोजक य हर्ता जुपावे । हैं और	म मि मिस से सर्व मित्रेक निर मित्रेक निर मित्रेक संलग्न उपादंघ-ख	नियोजक धित ग्ररूप गंजक के गेजक द्वारा करें, यदि	रें अधिक सं0 16 व अधीन निर जारी कि कर को	नियोजक प्रमाणपत्र गेजित था ग जा सके आय-कर	के अर्ध का १ निर्धा गा चालान	भाग-क रिती के प्रस्तुत	जाशे व विकल्प किए	हरेग्रा १ पर विना
पदनाः	1 :	प्रत्येक नियोजक जिसके लिए ऐस भाग-ख प्रत्येक वि सरकारी कटौतीय संदत्त किया गय गंदत्त किया गया गॅर सरकारी कटौ	पूरा ना न, कीई नि क, उस अ । निर्धासि नैयोजक य हर्ना उपाव ह हैं और है !	म मि विधि से संबंधी प्रित्येक निव । अंतिम निय ध-क संलग्न उपाबंध-ख प्राबंध-ख	नियोजक धित ग्ररूप गांजक के गेजक द्वारा करें, यदि सलान व	एँ अधिक रां० 16 व अधीन निर जारी कि कर को ऐं यदि	नियोजक प्रमाणपत्र गेजित था १ जा सके आय-कर इर को अ	के अर्ध का १ निर्धा गा चालान ।य-का	भाग-क रिती के प्रस्तुत चाला	जाशे व विकल्प किए न के	हरेग्रा इ. पर बिना साथ
पदनाः	1	प्रत्येक नियोजन जिसके लिए ऐस भाग-ख प्रत्येक नि संस्कारी कटौतीय संदत्त किया गय गॅर सरकारी कटौ कटौतीकर्ता, आय	पूर्व ना न, कोई नि क, उस अ । निर्धारित नैयोजक य हर्ता उपाव । है और है । तीकर्ता, उ	म मि मि से सर्व प्रिट्येक निव अतिम निव ध-क संलग्न उपावध-ख पावध-ख संत क्त (टीडीए	नियोजक धित ग्ररूप गांजक के गेजक द्वारा करें, यदि सलान व	एँ अधिक रां० 16 व अधीन निर जारी कि कर को ऐं यदि	नियोजक प्रमाणपत्र गेजित था १ जा सके आय-कर इर को अ	के अर्ध का १ निर्धा गा चालान ।य-का	भाग-क रिती के प्रस्तुत चाला	जाशे व विकल्प किए न के	हरेग्रा इ. पर बिना साथ
पदनाः	1 :	प्रत्येक नियोजन जिसके लिए ऐस भाग-ख प्रत्येक नि संस्कारी कटौतीय संदत्त किया गया गॅर सरकारी कटौ कटौतीकर्ता, आय के टीडीएस विवर	पूर ना न, कीई नि क, उस अ । निर्धारित नैयोजक य हर्ता उपाव । हैं और हैं । तीक्रतां, उ । कर आयु	म मि मिस्से संस्था प्रत्येक निर्म अंतिम निय अप्रबंध-ख अप्रबंध-ख प्राबंध-ख संस् क्त (टीडीएर ए में है ।	नियोजक धित अरूप गंजक के गेजक द्वारा करें, यदि सलंग्न व जग्न करे । स) का ध्ट	रें अधिक सं0 16 म अधीन निर जारी कि कर को रें यदि	नियोजक प्रमाणपत्र गेजित था ग जा सके आय-कर कर को अ	के अर्ध का १ निर्धा गा चालान चालान	भाग-क रिती के प्रस्तुत र चाला धिकारित	जारी व विकल किए न के	हरेग्रा इ. पर विना साथ सिती
पदनाः	3.	प्रत्येक नियोजन जिसके लिए ऐस भाग-ख प्रत्येक नि संस्कारी कटौतीय संदत्त किया गय गॅर सरकारी कटौ कटौतीकर्ता, आय	पूर ना न, कीई नि क, उस अ । निर्धारित नैयोजक य हर्ता उपाव । हैं और हैं । तीक्रतां, उ । कर आयु	म मि मिस्से संस्था प्रत्येक निर्म अंतिम निय अप्रबंध-ख अप्रबंध-ख प्राबंध-ख संस् क्त (टीडीएर ए में है ।	नियोजक धित अरूप गंजक के गेजक द्वारा करें, यदि सलंग्न व जग्न करे । स) का ध्ट	रें अधिक सं0 16 म अधीन निर जारी कि कर को रें यदि	नियोजक प्रमाणपत्र गेजित था ग जा सके आय-कर कर को अ	के अर्ध का १ निर्धा गा चालान चालान	भाग-क रिती के प्रस्तुत र चाला धिकारित	जारी व विकल किए न के	हरेग्रा इ. पर विना साथ सिती
पदनाः	1 :	प्रत्येक नियोजन जिसके लिए ऐस भाग-ख प्रत्येक नि संस्कारी कटौतीव संदत्त किया गया गैर सरकारी कटौ कटौतीकर्ता, आय के टीडीएस विवर यह प्रस्त्य, केवर होगा ।	पूर्व ना न, कोई नि क, उस अ । निर्धारित नैयोजक य हती उपाब । हैं और है । तीकर्ता, उ नकर आयु एप के विष	म मि मिस्से संस्था प्रत्येक निर्म अंतिम निय अप्रबंध-ख अप्रबंध-ख प्राबंध-ख संस् क्त (टीडीएर ए में है ।	नियोजक धित ग्ररूप गंजक द्वारा करें, यदि सलंग्न व गंग करें । स) का ध्द	सं अधिक सं0 16 व अधीन निर जारी कि कर को रेर यदि । प्रस्तुत	नियोजक प्रमाणपत्र गेजित था ग जा सके आय-कर कर को अ	के अर्ध का १ निर्धा गा चालान चालान	भाग-क रिती के प्रस्तुत र चाला धिकारित	जारी व विकल किए न के	हरेग्रा इ. पर विना साथ सिती

उपावंध-क

कट़ीती किए गए कर और बही प्रविद्धि के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में पैमा किए गए कर का ब्योरा र हाता है (नियोजक द्वारा नियोजक कर्मचारी की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर कीं भुगतानवार ब्योराः । उपलब्ध कराया जाएं)

प्रश्निक की प्रति वहीं समायोजन मिनी यह तारीख जिसको कर संख्या विवरण व जेडीओ जन्म किया गया अगुक्रम संख्या (दिन/मास/वर्ष)	क्रम रहे0	कर्नचारी की बाबत जन्म किया गया कर (२०)	बही पहचान संख्यांक (बीआईएन)																	
			PASE				प्रत	लि	विद	एक	4	İ			Đ,	· VF	सा	केय	मथः	
	:												.			 			¦ 	_ }
			<u> </u>	ļ	<u> </u>	· 	 		·				 			- - -				
	·		<u> </u>	- 	-						-		ļ		<u>-</u>	 				+
		 		 	<u> </u>	<u> </u> 	 	w v v		-+-			ļ			<u></u>	 			+
				ļ	<u>.</u>	ļ. .			.			-	-						·	
		[ļ	<u> </u>		ļ		334. 3			{ 	j								1
				<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	 	· "	· 		ļ		: 	· 	:	 	ļ
		! 		<u> </u>	; 	 	 -					-		ļ		<u> -</u>				+
	20.20.000	 					 			-		- <u>Ì</u>	 -	! 						
			<u> </u>	<u>.</u>	 	: -				+		+-	<u> </u>			 }		ا ا ا		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 	{ 													7	-	-
	कुल			· 			**************************************				!					. 11				-

टीडीएस के लिए स्तंभ में, टीफीएस, अधिमार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर के लिए कुल रकीम दें। ा

ं उपाबंध-ख

कटीती किए गए कर और चालान के भाध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा।
(नियोजक द्वार कर्मचारी की बाबत कंटीती किए गए और जमा किए गए कर का मुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया।
जाए)

क्रम संव	कर्मचारी की बाबत जमा किया गया कर		वालान पह	वान संख्यांक	साआईएन)	
<u>.</u> 1, 1,1,1	(20)	वैक शाखा का वीए	ਹਿਤ ।	ह तारीख जिस	रहो -	चालान कम	ज्यंस्टाहरू
	1	कोड		रह ताराख रजप इर जमा किया		enville Mari	11.5-11-11
এৰু চন্দ্ৰ ব	1			(दिन/भारः/वर)		
······································							
·				· ·			 -\
na disersi di se la							
			1 :				
							<u></u>
কুল							

िरचटर

ं टीडीएस के लिए स्तंत में, टीडीएस, अधिमार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर के लिए कुल स्कंम दें। 🕒 🦠

प्ररुप सं. **16**क ़ |नियम 31(1)(ख) देखिए]

	कटौतीकर्ता क	र्ता का नाम और पता					क	ग्रैती —	किए व	जाने 	ने वाले व्यक्ति का नाम और प्रदनाम						
	तीकर्ता का पैन		 होत्रीक	र्ता का व	 				 रुटौरी	कि	जाने	वाले	 व्यक्ति	काः.पै	— सः		
	State of the	{ ···															
; -	सी:आई.टी	! (टीडी	(平)			, 		निध	र्ण द	4		T-	· :	अर्जा	चे :	, Č. e. e	
पदम्	tingtong Haritan					Ē	•						136				
<u></u>					:						ļ	┼-	स्रो			सक	
शहर ः		!সল	യുടും												· 		
· 		· 	· · · · ·	···							<u> </u>]	<u> </u>			· .	
•		1				संक्षेत्र मे											
. 3	किस/एमा की गई		1		ź	दास स	भै प्रकृ	नि				संद	शिय जम	1 वर्ग ।	तारीख	ţ.,	
				······································					- -		İ		·				
,	कर	वेती है	⊥ সুত্ কান	रे वाले :	শ্ৰন্থি	(C) 6	विस् र	ign;	संकर	र्गती	किया	गरा	कर	:	<u></u>		
ीमाही विमाही	्रासः २००	 स्ट्री -र		(9)	के ः	अधीन	හන්	<u></u> {	<u>किए</u>	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ने वा	₹ [कटोर्न	- किए	. 1341	1	ফাত
	टीकीएस के						व्यक्ति	रें। व	ी बाह			ए [ा	व्यक्ति	ď	ਸੀ`ੁ ਹ	; - ; ভ	विद्य
	संख्यक		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		कर ।	की र	<u>रहम्</u>				जमा/विष्	नेषित ।	केर व	ही। एव	5 म
		· .		*										<u>:</u>			
	ा कडोती किए।																
(कटीर	नेकर्ता द्वारा कटोती	क्य	জালা সে; -			। बाबत उपसम्ब				, अ॥	४ जमा	iqni	, गए क	हर या	मुग्	्त प्र	!4
				1.7	1:31	S 1(104	41. 31.4	., •1									
ক্রশ	कटौती किए			···			बही प	हिचा	न संस्	संब	(बीअ	ाईएन) :,:/-			- :	
सं0	बाहे लियेन	की डिया											$\langle M \rangle$		(rid San a	W.	Ne.
	बादल जना । भया कर	। - -													end Sta		
			प्ररूप	GC 24	3 in	प्राद्धि						-	तारीख				эi Р
				एंस्ट	45		- 1				ાહીલો	i	या गया	: &			
			<u>-</u>	T-;	- _[Γ	317	(इंडिन	संख्या		-	्।द	न/भारा/	<u> </u>	′ [-		Ţ~~
					1				Ì			L <u>-</u>	 		 	· [1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	<u>.</u>
														: -			
	ļ				<u> </u>							<u>-</u>	·		!		
	į.		1	1 1	ŀ	i i	1 1	- 1	- 1 1	- 1	l i		į,	1.	1 .		1
<u>70</u>			<u>i</u>	<u> </u>	ـــ.نـــــــــــــــــــــــــــــــــ	!				1		L	L.,	حجر بالساء	l	,	<u> </u> ,

(कटौर्त	ोकर्ता द्वारा कटौती किए	जाने वाले व्यक्ति की बाबत		ौर जमा किए गए क	र का भुगतान वार
		ब्यांस उपलब्ध	कराया जाए)	:	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
क्रम	कटोती किए जाने		वालान पहचान सख्या	क (सीआईएन)	
₹₹0	वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया	i .			
	बाबत जमा किया गया कर				•
<u> </u>	(40)	बैंक शाखा का बीएसआ	वह तारीख रि	पराको चालान	क्रम संख्यांक
į		कोड	ं कर जमा किया ग		1
			(डिन/मास/वर्ष)		
					·
<u>।</u> कुल		-} 			<u> </u>
			·		
		सत्याप	1 - · · ·		
	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	पुत्र/पुत्री		के किल्पालकार के	ਰਿਸ਼ਤ ਤੇ ਤਰਹੀ ਨਹ
h manamah u	a and investigate assessed	करती हूं कि	ਲਗਾਹ ਟਿਲੈਸ਼ਡ	all faction), mi 6	ारायात च याच चरर अस्ति में
761/35 3	हि यह भगाजल करला।	त्रार्था हू. प्या ही गई है और केंद्रीय संस	क्षेत्र पुरस्कार स्टब्स को अन्यों में सहस्	ਜ਼ਰਾਜ਼ਨੀ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ	्राज्य और जमाशिक
200 (A) 1 (4)	का प्राप्त का फटाया थे। स्थान कि क्यानंत्रका सी	ता पड्ड हे जार पद्धाप सर संयी जानकारी लेखा पुस्तक	१११ क खरा करा टिक्सातेओं औ र ३६	ग प्राप्ताका अभिनेत्रवी भ	के अधार पर संही:
		sidi dinana ada 3ma		2 2 2 2 2 2	
ख्यान					:
	<u> </u>	<u> </u>			
तारीख			कर का छटाता क	लिए उत्तरदायी व्यक्ति	त के हरताक्षर
पदनाम			पूरा नाम		
- 2					
टिप्पण		en en en en en en en en en en en en en e			
		तीकर्ता, यदा में जानकारी	दें, चदि कर को आर	-कर चालान के प्रस्त्	ति किए बिनः
	प्रस्तत किय	मं जाता है और यदि कर व	में आय-क्षर चालान		
	मद ॥ में	जानकारी दें।			N. e
92.1	2. 🏸 गैर सरकारी व	जानकारी है । हटौतीकर्ता, यद ॥ में पूर्ण व द ॥ में, टीडीएन के लिए	तिकारी दें ।		
	3. मद्राऔर म	द्मा में, टीडीएर्स के लिए	रसंभ में, टीडीएस ३	धिभार (यदि लागू ह	ो) और शिक्षा
	उपकर की कु	ल एकम दें।			
		ल स्वान व । आय-कर आयुक्त (टीडीएस)	का पता प्रस्तुत क	रेगे जिसकी अधिकारि	रता निधीरिती
		वेवरण के विषय में हैं।		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		वल १ अप्रैल, २०१० को या	उसम् प्रश्चात् कटी	ता किए गए कर क	सब्ध म लागू
	होगा !	san a said sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa			

⁽ii) प्रस्तप सं0 24 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :

"प्ररूप सं0 24छ" [नियम 30 और नियम 37गक देखें] टीडीएस/टीसीएस बही समायोजन विवरण

दिन भास वर्ष को समाप्त होने वाले मास के लिए अंतरण वा	उचर		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. लेखा अधिकारी का ब्योच	पीए	ओ रजिस्ट्रीकरण संख्यां (केन्द्रीय	
	अधि	तिख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा दी गई)	·
लेखा अधिकारी पहचान संख्या (एआईएन)			
लेखा कार्यालय का नाम*		s' :	
लेखा कार्यालय का पता			
पताः 1*	र ् पता	T2	
प्रसा ३	अंत अंत	4	
म् गुरु	राज	≅ *	
पिन कोड*	\$ F	ोल आईडी*.	
एसटीडी कोड फोन नं0*			
 उत्तरदायी व्यक्ति का खौरा (टिप्पण 1 देखें) 	1	ओ रजिस्ट्रीकरण संख्यां (केन्द्रीय मेलेख अनुश्क्षण अभिकरण द्वारा दी गई)	
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम*			
उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम*			
उत्तरदायी व्यक्तियों का पता*			
यता 1*	पत	2	
पता ३	पत	14 11111111	
नगर∗	राष	य*	
पिन कोड*	,	ेल आईडी*.	
एसटीडी कोड फोन नं0*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	रदायी व्यक्ति का मोबाईल नं0	

^{3.} विवरण का प्रकार*

क्या इस म	हीने पहले विव	रण फाइल वि	तया गया	है (डां/न	र्न्हीं)							-,				
अदि उपरोट	क्त का उत्तर 'ह	हां है तो भृत	विवरण	की अनी	तेम प्राप्ति	सं0 दे	- !		—————·							
४ कटौती		जिसके लिए	ं विवरण इ	एसन कि	या गया है	हे : क्रेन्ड्रीय/राज्य सरकार				· ·						
राज्य का न	. :					The state of the s	· ,	ालय						-		
-	·	·	-	·			उप	मंत्राल-	격				 			
	<u>,</u>	-	: .	·									<u> </u>		· · ·	
	वाउच्यों का डी						:	÷ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. ÷							
্ডফ ভীভী 3	भोवार टीडीएस-	चेतन (24थ)	का ब्यौर	T				T				· ·————				
*	্ত্রীঞ্জিঞা বুলিব	ादीकरण . संo		<u>ৰ্জান্</u> তীઓ	डीकीओ			 - - -							कटौती किया गया ! संग्रहीत : (बेस-	सरकारी साते को विधेषित बुध्त टीखेएस/टीकीएस (एजी/मसोसीए)
. gar vio*	(केन्द्रिय अभिर अभिकरण द्वारा दी	नेरख अनुरक्षण ! गई)	कोङ	का टैन*	का का नाम*	एता 1 [‡] -		पका 2	पत्। 3	पता 4	सकार्क	स्:ज्य*	पिनकोड*	ई¤ेल आइडी	कन् अधिभार शिक्षा उपकर्) ^क	# (Kathatists)
151	कुत्म	152	153	154	155		156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
) 2 (SEC)														
५७ टीडीए	२स-गैर वेतन (2	26थ) के लिए	अंतरित	कुल टी	डीएस/टीन	वीर्स										
1									-	, ,					कटोती किया गया संग्रहीत (बेस	सरकारी खादे को विप्रेपित कुल टीडीएस/टीसीएस
क्रम अं0*		स्ट्रीकरण सं0 लेख अनुरक्षण देया गया)		डीडीओ का टैन*	डीडीओ का नाम*	ं		णता 2	पता 3	प्रता 4	নন্দ*	राज्य*	गिनको ड*	ईमेल आइस्डी	कर् अधिभार शिक्षा उपकर्ग *	(एजी/प्रसीसीस) #
166		167	168	169	170	200	171	172	173	174	175	176	177	178	179	18i)
	कुल		<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>	ļ	!, 	<u> </u>	 		<u>-</u>	

5ग टीडीएर-अनिवासी (26थ) के लिए अंतरित कुल टीडीएस/टीसीएस सरकारी ख़ाते को विभेषित कुल टीडीएस/टीसीएस (बेस-रजिरद्रोकरण संत (एजी/प्रसीसीए). कर अधिभार शिक्षा (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण ईमेल. पता _ उपकर)* अभिकरण द्वारा दी गई) आइडी क्रम सं०* राज्थ≉ यिनकोड्* - 183 - -187 189 5घ टीसीएस (26थ) के लिए अंतरित कुल टीडीएस/टीसीएस कटौती 🕟 किया सरकारी खाते

કીકીએ!

नाम *

199

198

पता 1*

को वित्रंधित कुल

टीडीएस/टीसीएस

(एजी/प्रसीरधेए)

गयः

कर् अधिभार शिक्षा

अपकर) *

ईमेल

आइडी

208

6	संक्षेप	में	विवरण
О.	रादाप	7	19939

क्रम सं0*

अभिकरण द्वारा दी गई)

स्भिन डीडीओ की गणना	
मद 5 में प्रविष्टियों की संख्या	
रिपोर्ट की गई कुल टीडीएस/टीसीएस की रकम	
सरकारी खाते एजी/प्र.सीसीए) में विप्रेषित कुल टीडीएस/टीसीएस	

धला

202

201

पता

203

पता

भगर्*

राज्य*

विनकोङ्ग

207

· ·

रथान :

सत्यपित करता हूं कि ऊपर दी गई समी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम (टिप्पण 1 देखें)

टिप्पण

- 1. उत्तरदायी व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे इस प्ररूप की भरने के लिए वेलन और लेखा अधिकारी (पीएओ) या कोपाधिकारी(टीओ) या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी ने उत्तरदायी बनाया है ।
- 2. सभी प्रकार के भुगतान टीडीएस-वेतन (24थ) टीडीएस-गैर देतन (26थ) टीडीएस अनिवासी (27थ) से संबंधित भुगतानों को उसी प्ररूप में प्रस्तुत किया जाए ।
- 3. या तो डीडीओ रजिस्ट्रीकरण संत या डीडीओ कोड प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।
- 4. प्रत्येक मास में अधिकतम चार प्रविष्टियां (कटोतीवार की प्रकृति) प्रत्येक मास में डीडीओ के अनुसार हो सकसी है ।
- 5. यह प्ररूप केवल 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चाल् कटोली किए गए/संग्रह् किए गए कर की बाबत लागू होगा ।
- 6. चिन्हित क्षेत्र जैसे* आज्ञापक हैं।
- 7. मंत्रालयों का ब्योस ।

क्रम सं0	मंत्रालय
1.	सिविल
2.	रेलवे
3.	रक्षा
4.	दुरसचार
5.	डाक

6 उपमंत्रालय के विवरण (सिविल मंत्रालय के मामले में)

क्रम सं0	उप मंत्रालय का नाम	कम संध	उप मंत्रालय का नाम
	मृति	20	नहीन और नदीकरणीय रुर्जा
2	परमाणु ऊर्जा	30	ग्रामीण विकास और पंचायती राज
3	उर्वरक	31	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
4	रसायन और पैट्रोरसायन	32	अंतरिक्ष
5	नागर विमानन और पर्यटन 💮 🔆 🔆	33	इस्थात
6	कोयला 🕟 🤼 🗀	34	खान
7	उपगोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	35	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
8	वाणिज्य और तस्त्र		जनजातीय कार्य
g	एर्यावरण और वन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	37	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)
10	विदेश और प्रवासी भारतीय कार्य	38	पात परिवहन और सङ्क परिवहन और राजमार्ग
11	वित्तः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	39	शहरी विकास, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलनं
12 -	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	40	जल संसाधन
13	केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क-बोर्ड	47	राष्ट्रपति सचिवालय

14""	नियंत्रक सहायता लेखा और संपरीक्षा	42	लोक सभा सचिवालय
15	केन्द्रीय पेशन लेखा कार्यालय	43	राज्य सभा सविद्यालय
16	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	44	निर्वाचन आयोग
17:11	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	45	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन
18	गृह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	46	चंडीगढ प्रशासन
19	मानव रासाधन विकास	47	दादरा और नागर हवेली
20	उद्योग	48	गीवा दुमण और दीव
21	सूचना और प्रसारण	49	लक्षद्वीप ⁷
2.2	दूर संचार और सूबना प्रौद्योगिकी	50	र्शांडिचेशी प्रशासन
23	श्रम	51	वेतन और लेखा अधिकारी (संपरीक्षा)
24	विधि और न्याय और कंपनी कार्य	52	गैर प्रपरागत ऊर्जा स्रोत
25	कार्मिक लोक शिकायत और पेशन	53	दिल्सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार
26	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	54	अन्य
27	योजना सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन		
.28	विद्युत	· · · · · · · ·	

7 राज्यों का विवरण

क्रभ सं0	राज्य का नाम
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह
5	आन्ध्र प्रदेश
3	अरुणाचल प्रदेश
4	असम
5	बिहार
€ ; ·	चंडीगढ़ 💮 🎺
7	छत्तीसगढ
8:::-:	दादरा और नागर हवेली
9	दमण और दीव
10	दिल्ली का अनुसार के अनुसार का अनुसार का अनुसार का अनुसार का अनुसार का अनुसार का अनुसार का अनुसार का अनुसार का
11:	ारीवा
12	गुजरात .
13	.इरियाणाः
14	हिमाचल प्रदेश
15	जम्मू-कश्मीर

16 .	ं जारखंड	
17	कर्नाटक	
18	करत	•
19	लक्षदीप	
20	मध्य प्रदेश	
24	महाराष्ट्र	
22	मणिपुर	
23	मेघालय	:
.24	मिजोरम	
25	नागालैंड	
26	उड़ीसा :	
27	<u>पुड</u> ुस्री	•
28	पंजाब	
29	राजस्थान	
30	(रीविकम	-
31	त्रिलनाडु	
. 32	त्रिपुरा.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33	उत्र प्रदेश	
34	उत्तरप्रंड	
35	पश्चिमी बंगाल	

. .

क्षेत्र *पर्व* (१<u>५५</u>५-८)

(iii) प्ररूप सं0 27घ के स्थान पर निम्नितिखित प्रक्रम रखा आएगा, अर्थात् ः "प्ररूप स. 27घ [नियम 37घ देखिए]

स्रोत पर संग्रहीत	कर के लिए आयकर अ	<u> </u>	१ 206ग के अधीन प्रमाण-प	T3									
संग्रहण का नाम और पता		कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम											
संग्रहण का पैन 🔻 र	ग्रिहणकर्ता का टैन	कटौती किए जाने वा	तं व्यक्ति का पैन										
सी,आई.टी(र्ट पता	-	निधारण वर्ष	अवधि	en en en en en en en en en en en en en e									
			\	तक									
शहर	एन कोड		\]									
			· ·										
(A)		क्षेप में प्राप्ति		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
प्राप्त/विकलित रकम	Äii	प्ति की प्रकृति	प्रगप्ति/विकलन व	n: वासस्य 									
	। संक्षेप स	ति पर संग्रहीत कर		·									
िंशही : धारा 206ग की अधीन टीसीएस प्राप्ति संख्या			त संग्रहीत व्यक्ति										
				1									
। संग्रहीत (संग्रहणकर्ता द्वारा कटोती वि			ार के खाते में जमा कर मा किया गए कर का ब्योग										
TOMOREM AND A STATE OF		ब्ध कराया जाए)	the last of ast any outsi	સુંગલાન વાર									
क्रम कटौर्त किए जा	<u> </u>	वही पहचान संख्य	ंक (बीआईएन)	:									
	भ			a vide nja se vide me og vide									
	पीएओ/सीडीडीओ/र द्वारा दी गई बीएएम संख्या	; -	न मिनी वह तारीख जि डीडीओ किया (दिन/म	गया									
	,	resource and and an arrange of the second											
 µ. संप्रहीत कर औ (संग्रहणकर्ता द्वारा कटौती वि 	केए जाने वाले व्यक्ति की		में जमा किए गए कर का । ा कि९ गए कर का मुगतान										

	क्रम सं0	कटोती वाले व	यक्ति	जाने जम	1					चा	लान	पहचा	न संस	ड्यांक	(सी	आई	एन)		:						
	-	किया ग	या कर		ाया कर				i	চ স ভি	ाखा	का	बीर	स्थार	7	वह तार हर जम् देन/मार	ग कि	याः ग			· : चा	लान	क्रम	संस्ट्रा	ांद <u></u> ा
į					-										 			-							
		<u> </u>			\\						· -								 - - -						
.	कुल					and the threat			4	स्थापन		. <u></u>		ļ -	<u>.</u>		: ,;: :			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				
	रहा/रही रुएए)] य प्रमाणित	हुं, यह प्रम ही शशि व करता/करत ऑर टीज	साणितः ज स्रोत हो हूं रि	करता. पर	/करते संग्रह	ो हूं ि	कि या ग	 ह्याः	₹ 3	 गैर केंद्र	 स्	रुपए सरकार	[केट के	ान स्थाती	में उ	 नमा भन्य	किया	 स्य ३	ि है भिले	ः । भैं खों बे	(शब्दों में धह और वे आधार				
	रखान													के तिए उत्तरदार्थ व्यक्ति के हस्ताक्षर											
	वाशीस्त	2.11 2 .010 — — —				-		· 			कृत्य	के संग	हण												
:	५८नाम् -	· · · ·									पूर्	नःम					: -::::								
	- शिक्षम :								5								-7. 	: '							
		2. 3. 7	बस्तुत ॥ में जा गैर सरव पद । अ उपकर १	किव नकार्र मारी प गौर मा की पु	क हैं। तें दें । तंत्रहण द !! इस एक	ता है ! !कत में, ! हम !	े औ िमह टीसी दें	र डॉ हिंग एस	धिय में ए के	कारी दें इर को उ पूर्व जान लिए स्त	आवा कार्र भि	कर चा है दें । हैं दीर	जान ग्रेप्स	के स अधि	1थ र भार	ंदस (यदि	किय दे ला	्रा (हो)	ता है) औ	त्तो म र शि ष्ट	द्र. - % 				
, ···	<u>.</u>	कें हैं 5.	विसीएस यह प्रस	िदिव	रण है	ই বি	बया:	में है	1	डीएस) हो या ए											dive.				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	झेया !			-	. ,	अधि	स्रूचः	ः स संध ः।	41	/2016) /	্ক	⊺. च् यं.	14	2 2	7/2	200°)-s	0(TP				
	. • 1:							:	;					नि	दिशा	क (र	(राउँ कर न			भूत वेधान					
. •	टिप्पण का:आ (१	्मूल निय 11(अ) ता	म अधि रीख ्री	भूचन ~ 05 - द्वा	िसं0 - ३२० १ सं-आ	96 (७ य-क	9(अ इर (१) ता श्रीकार	रीएड 7.2/7 धन)	26 नः निधम्	च् 201	1962 0 ਕੁੰਗਿ	हार म ब	प्रका ए-संद	शित गोधित	वित्र चित्र	र मूए इस्मा	ঞ্জীৰ ভো	ा अहि (१३८)	रेसूचन ं	Π · - :				